सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Paush, 1941(S)

No. 33

Ranchi, Monday, 11th January, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 75/2020 – State Tax

S.O. No. 06, Dated 11th January, 2021- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with, section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall be deemed to be effective from the 15th October, 2020.

[File No.Va Kar / GST /01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Akanksha Ranjan)
Commissioner, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 75/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 06, दिनांक 11 जनवरी, 2021- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तिय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं ।

2. अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

.3यह अधिसूचना 15अक्टूबर, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(आकांक्षा रंजन)

आयुक्तवाणिज्य ,-कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 33 -- 50